

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन।

क्रमांक - स्था./2026/53

दिनांक - 17 अगस्त, 2026

- कार्यालय आदेश -

मैं ज्ञानेन्द्र सिंह, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) का प्रयोग करते हुये वर्ष 2026 के माह अगस्त में रिमाण्ड ड्यूटी के लिए पूर्व में जारी कार्यालय आदेश स्था./2026/50 दिनांक 30.07.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 23.08.2026 को श्री रूपेन्द्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना को डीडवाना न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) की कार्यवाही हेतु अधिकृत करता हूं, शेष रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व में जारी कार्यालय आदेश स्था./2026/50 दिनांक 30.07.2026 के अनुसार ही रहेगी।


(ज्ञानेन्द्र सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीडवाना।

क्रमांक - 409-419

दिनांक - 17 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि : - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डीडवाना।
2. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय - डीडवाना /लाडनूं/कुचामन /मकराना/परबतसर संख्या 01 व 02
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/मकराना/परबतसर /नावां।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट - डीडवाना/मकराना।
5. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) कुचामन सिटी।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, डीडवाना, समस्त वृताधिकारियों व थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत।
7. सहायक निदेशक अभियोजन, नागौर।
8. समस्त बार संघ अध्यक्ष, जिला डीडवाना-कुचामन।
9. जिला आबकारी अधिकारी, डीडवाना सभी आबकारी थानों को सूचित करने बाबत।
10. प्रभारी अधिकारी जिला उपकारागृह, डीडवाना।
11. सिस्टम असिस्टेंट, ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


(ज्ञानेन्द्र सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीडवाना।